अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2019 (RCMS 2019/00080) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

01.05.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2019 को प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके कार्यालय में कार्यरत कर्मकारों का कार्य की, समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति
2. कार्य दिवस के समय Lunch के समय की सूचना व Lunch में जाने की अवधि में कर्मकार द्वारा की जाने वाले कार्य की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. Lunch की अवधि कार्यालय से बाहर जिस कार्य हेतु कर्मकार जा सकता है उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
4. अपने कार्यालय में अन्य कार्यालय में जाने की अवस्था में कर्मकार के लिए जो नियम सरकार द्वारा प्राविधित किये गये है, उस नियम की सूचना।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 65 दिनांक 04.04.2019 से श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> लेख है कि आपके द्वारा कर्मचारी के कार्य के समय की सूचना व नियमों की प्रमाणित प्रति चाही गई है, के संबंध में सूचना किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
>
> -Sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 01.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर